IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

आरटीआई अधिनियम 2005 सामाजिक परिवर्तन के एक उपकरण के रूप में:

एक महत्वपूर्ण अध्ययन

Naresh Kumar
Amrit Law College, Dhanauri
Roorkee Distt-Haridwar

Roll Number – 220906262019

''The right to express one's thoughts is meaningless if it is not accompanied by a relaxed right to secure all information on the matter of public concern from relevant public authorities''

JUSTICE VR KRISHNA IYER

सार

सूचना का अधिकार प्रत्येक मनुष्य का एक बुनियादी मानव अधिकार है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक मेले फौकॉल्ट ने एक बार कहा था, शक्ति ज्ञान से ली गई है और जानकारी ज्ञान का मूल घटक है। जानकारी लोगों की मानसिकता को बदल देती है और आधुनिक दुनिया के साथ सामना करने के लिए यह पर्याप्त सक्षम है। सरकारी निर्णयों में लोगों की जानकारी और भागीदारी की मुफ्त पहुंच शासन के सुशासन में परिवर्तन को विकसित करती है। इसलिए, सरकार का यह कर्तव्य है कि वह सरकार के भीतर जो भी हो, दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के बारे में नागरिकों को सूचित करें। भारत की संसद ने जवाबदेही, पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सूचना अधिनियम, 2005 का अधिकार पारित किया, जो कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मजबूत करता है और भ्रष्टाचार को कम करता है।

भारत जैसे किसी भी प्रतिनिधित्व वादी लोकतंत्र में खुलापन और सुशासन की आवश्यकता है। अनुभव के अनुसार, किसी भी विकास प्रशासन में शासन को बढ़ाने के लिए हमेशा एक दबाव की आवश्यकता होती है। 1, भारत में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार के अभूतपूर्व स्तर हैं। भ्रष्टाचार का प्राथमिक स्रोत गोपनीय है, जिसे कभी सरकार के खिलाफ सटीकता के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया था। यदि हम सरकार में पारदर्शिता की इच्छा रखते हैं, तो हमें गोपनीय की बाधाओं को तोड़कर भ्रष्टाचार पर नकेल कसनी चाहिए। सूचना का मुक्त प्रवाह एक लोकतांत्रिक समाज के लिए होना चाहिए क्योंकि यह समाज को विकसित करने और लोगों के बीच निरंतर बहस और चर्चा को बनाए रखने में मदद करता है। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार जवाबदेही के बिना जीवित नहीं रह सकती है और जवाबदेही का मूल आधार है कि लोगों को सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वे दिन गए जब सार्वजनिक व्यवहार को सख्त रहस्य में रखा गया था, एक अभ्यास जिसके कारण अकसर भ्रष्टाचार, दुरुपयोग और वैधानिक और प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग होता था। हाल के वर्षों में, देशों, अंतर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज और लोगों द्वारा सूचना के अधिकार की मान्यता के लिए लगभग एक अजेय वैश्विक प्रवृत्ति रही है। सूचना के अधिकार को एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, जो सभी मनुष्यों की अंतर्निहित गरिमा को बनाए रखता है। सूचना का अधिकार

सहभागी लोकतंत्र – के महत्वपूर्ण आधार को बनाता है, यह जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। सरकार के कामकाज के संबंध में जानकारी का प्रकटीकरण नियम और गोपनीयता एक अपवाद होना चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सरकार को पारदर्शी और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए पारित किया गया था; इसका प्रभावी उपयोग, लंबे समय में, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगा। हमारी जैसी जिम्मेदार सरकार में जहां जनता के सभी एजेंटों को अपने आचरण के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, कोई रहस्य नहीं हो सकता है। शासन संरचना को प्रभावित करने के लिए व्यक्तिगत नागरिकों के लिए कोई वाहन उपलब्ध नहीं है। भ्रष्टाचार के साथ खिलवाड़ करने वाली प्रणाली में और वंचित नागरिक की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो जाना, सूचना के अधिकार ने नागरिकों को जवाबदेही प्राप्त करने और सुशासन के प्रवर्तक के रूप में कार्य करने का वादा किया है।

कीवर्ड्स: सूचना का अधिकार अधिनियम, पारदर्शिता, सूचना असमंजस, भ्रष्टाचार

I. प्रस्तावना

"Corruption is a tree, whose branches are of an immeasurable length; they spread everywhere." – Beaumont and Fletcher"

भ्रष्टाचार एक सार्वभौमिक घटना है जिसका सामना लोग किसी न किसी रूप में करते हैं। भारत में, यह जीवन का एक हिस्सा बन गया है। यह सुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है और समाज और राष्ट्र को बहुत नुकसान पहुंचाता है। भ्रष्टाचार शब्द लैटिन शब्द "भ्रष्ट" से लिया गया है, जिसका अर्थ है "भ्रष्ट" और, कानूनी शब्दों में, सत्ता की शाखाओं (कार्यकारी, विधायक और न्यायिक) में या राजनीतिक या अन्य संगठनों में एक विश्वसनीय स्थिति का दुरुपयोग। भौतिक लाभ प्राप्त करने का इरादा जो स्वयं के लिए या दूसरों के लिए कानूनी रूप से उचित नहीं है। [1]पवित्र पुस्तक बाइबिल में भ्रष्टाचार को पहले से ही एक महान पाप के रूप में वर्णित किया गया था: "रिश्वत स्वीकार न करें, क्योंकि रिश्वत उन लोगों को अंधा कर देती है जो निर्दोष के शब्दों को देखते और तोड़-मरोड़ कर पेश करते हैं। [2] हमारे देश में शासन संविधान के तीन बुनियादी स्तंभों पर निर्भर करता है, अर्थात् विधायिका जो कानून बनाती है, न्यायपालिका जो कानूनों की व्याख्या करती है और कार्य पालिका जिसमें कानूनों को लागू करने के लिए राजनीतिक और नौकरशाही दोनों शामिल हैं। भ्रष्टाचार निजी लाभ के लिए सार्वजनिक कार्यालय का उपयोग है। लोक सेवक, जिनमें राजनीतिक कार्य पालिका और नौकरशाही दोनों शामिल हैं, सार्वजनिक पद पर होने के कारण भ्रष्टाचार करने के लिए एक विशेष स्थिति में हैं। भारत को अपने प्राचीन शासकों से भ्रष्टाचार की विरासत विरासत में मिली थी, जो हमेशा अपनी प्रजा से नज़राना के रूप में कुछ उपहारों की उम्मीद करते थे। गतिविधि का शायद कोई क्षेत्र हो जो भ्रष्टाचार के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त रहा हो। वास्तव में, भ्रष्टाचार अब संस्था गत रूप ले चुका है और जीवन का एक सामान्य रूप से स्वीकृत तरीका बन गया है। उदाहरण - स्कूलों और कालेजों में प्रवेश के लिए उच्च दान, राज्य के रहस्यों को बेचना, भुगतान, रिश्वत, टेबुल लेन के तहत।[3] भ्रष्टाचार प्रणाली के उत्पाद द्वारा दुर्घटना नहीं है क्योंकि कुछ की नीचता लेकिन एक परिभाषित तत्व जिस पर इमारत टिकी हुई है। पूरी तरह से समाप्त होने की संभावना नहीं है, लेकिन उद्देश्य यह है कि इसे कम से कम किया जाए ताकि यह एक अपवाद बन जाए न कि नियम। 1968 से भारत में भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम को पारित करने के लिए संसद में कई प्रयास किए गए लेकिन यह नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को शामिल करने में विफल रहा और इसके कार्यान्वयन और प्रवर्तन के बाद भारत जैसे विशाल और विविध देश में और चुनौतियां पेश होंगी। आरटीआई अधिनियम तेजी से एक प्रभावी भ्रष्टाचार विरोधी उपकरण के रूप में उभर रहा है। आरटीआई कानून, जैसा कि आमतौर

---

[1] स्टाफ सुमना, भ्रष्टाचार, कारण और परिणाम, आई

[2] टीपना सुमना, भ्रष्टाचार, कारण और परिणाम, INTECHOPEN.COM

[3] के माधवी, सूचना का अधिकार अधिनियम: भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक उपकरण "भ्रष्टाचार का कैंसर और नंबरिंग मिले नियम", आईओएसआर-जेएचएसएस, फरवरी 2016,

पर कहा जाता है, नागरिकों को उनकी सरकारों द्वारा रखी गई जानकारी तक पहुंचने के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करता है, जिससे सरकार की बहुत आवश्यक पारदर्शिता या अपार दर्शी कार्यप्रणाली आती है।[4] तथ्यों का अधिकार अधिनियम 2005 (आरटीआई) भारत की संसद का एक अधिनियम है "नागरिकों के लिए तथ्यों के उचित व्यवहार का एक व्यावहारिक शासन स्थापित करने के लिए।" 2005 (आरटीआई) भारत का मुफ्त बिल है जो "नागरिकों के लिए पर्याप्त सामग्री के सम चीन शासन को व्यवस्थित करने के लिए तैयार करने के लिए" है।

II. भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक

1. पारदर्शिता की कमी: गोपनीयता और गोपनीयता वह पहलू है जिसका उपयोग सार्वजनिक कार्यालयों में किया जाता है। फाइलों को गोपनीय रखना एक परंपरा बन गई है। यह भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है जिसमें पारदर्शिता की कमी है क्योंकि फाइलों का प्रचार नहीं किया जाता है और लोगों को अंधेरे में रखा जाता है, जिससे देश में घोटाले बढ़ते हैं।

2. उत्तरदायित्व की कमी: सार्वजनिक अधिकारी रिश्वत लेकर बच निकलने में सक्षम हैं क्योंकि ऐसा कोई कानून, नियम या परंपरा नहीं है, जो सार्वजनिक अधिकारियों को अपनी आय और संपत्ति को लोगों के सामने रखने के लिए मजबूर या प्रोत्साहित करता हो। आम तौर पर यह पाया गया है कि बहुत बड़ी संख्या में अधिकारियों और मंत्रियों के पास बेहिसाब संपत्ति और आय है जो उनकी आय के कानूनी स्रोतों से अधिक है। कई अधिकारी और राजनेता अपना आयकर रिटर्निंग दाखिल नहीं करते हैं, न ही उन्हें जवाबदेह ठहराया जाता है, और इससे बचने में मदद मिलती है। यदि यह जानकारी जनता के लिए उपलब्ध है, तो ऐसे कई लोग होंगे, जो अवैध संपत्ति यों और आय के अपने कब्जे से उजागर होंगे। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के खतरे को रोकने पर यह एक बहुत ही लाभकारी प्रभाव होगा।

3. संस्था गत मशीनरी का अभाव: केंद्र स्तर पर लोकपाल की एक प्रणाली लागू होने के साथ। पीड़ितों का मानना है कि उनकी फरियाद सुनने वाला कोई है। लेकिन साथ ही ऐसी संस्था का अभाव है जहां सरकारी अधिकारियों के भ्रष्ट और अनैतिक कार्यों के बारे में शिकायत दर्ज की जा सके। यहां तक कि अगर शिकायतें दर्ज की जाती हैं, तो उस पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं होता है क्योंकि मामलों को भ्रष्टाचार निरोधक ब्योरों में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसमें राज्य पुलिस अधिकारी होते हैं और सबसे भ्रष्ट कार्यालय भी माना जाता है। इसके बाद, इसका मतलब यह है कि पीड़ित लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए कोई संस्था नहीं है। इसलिए, एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो सार्वजनिक अधिकारियों और मंत्रियों के नियंत्रण से मुक्त हो, ताकि यह प्रभावी ढंग से काम कर सके।

4. जानकारी का अभाव: सार्वजनिक कार्यालयों में फाइलों को गोपनीय रखा जाता है और लोगों को सरकारी और निजी संस्थाओं के बीच होने वाले सौदों के बारे में पता नहीं होता है, और यह उनका अधिकार है कि वे उन सौदों के बारे में जानें जो उनके लाभ के लिए हैं। इसलिए सौदों और उनकी शर्तों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए जिससे पारदर्शिता आएगी। इसलिए, यह भ्रष्ट प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए दूर हो सकता है

[4] **Ibid.**

III. भ्रष्टाचार के प्रकार

भ्रष्टाचार विरोधी प्रचारक आम तौर पर भ्रष्टाचार के प्रकारों और रूपों की बहलता को वर्णनात्मक बक्सों के एक जोड़े में फिट करते हैं - भव्य भ्रष्टाचार, क्षुद्र या दैनिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार, खोए हुए धन की मात्रा और उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जहां यह होता है।

- **भव्य भ्रष्टाचार -** सरकार के एक उच्च स्तर पर किए गए कार्य शामिल होते हैं जो नीतियों या राज्य के केंद्रीय कामकाज को विकृत करते हैं, जिससे नेताओं को जनता की भलाई की कीमत पर लाभ होता है। आम नागरिकों के साथ उनकी बातचीत में, जो अकसर अस्पतालों, स्कूलों, पुलिस विभागों और अन्य एजेंसियों जैसे स्थानों में बुनियादी वस्तुओं या सेवाओं तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं।

- **क्षुद्र भ्रष्टाचार -** सामान्य नागरिकों के साथ अपनी बातचीत में निम्न और मध्यम स्तर के सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा सौंपी गई शक्ति के दैनिक दुरुपयोग को संवर्धित करता है, जो अकसर अस्पतालों, स्कूलों, पुलिस विभागों और अन्य एजेंसियों जैसे स्थानों में बुनियादी वस्तुओं या सेवाओं तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं।

- **राजनीतिक भ्रष्टाचार-** संसाधनों और वित्तपोषण के आवंटन में नीतियों, संस्थानों और प्रक्रिया के नियमों में हेरफेर है। राजनीतिक निर्णय लेने वाले, जो अपनी शक्ति, स्थिति और धन को बनाए रखने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करते हैं।[5]

भ्रष्टाचार के उपरोक्त सभी रूप निजी लाभ के लिए सार्वजनिक कार्यालय के दुरुपयोग से संबंधित हैं। ये रूप भ्रष्टाचार के एक महत्वपूर्ण आयाम, निजी लाभ के लिए निजी कार्यालय के दुरुपयोग का उल्लेख नहीं करते हैं और यहां भी सार्वजनिक क्षेत्र को इस अर्थ में फंसाया गया है कि यह उन नियमों में शिथिल रहा है जो निजी क्षेत्रों की गतिविधियों को रोकने वाले थे।[6]

IV. सूचना के अधिकार का आगमन

प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए, सार्वजनिक प्राधिकारों के नियंत्रण में सूचना तक पहुंच सुरक्षित करने के लिए नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए भारत की संसद द्वारा तैयार किया गया एक अधिनियम। यह अधिनियम प्रति स्थापित करता है।[7] सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002। अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक नागरिक किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी मांग सकता है, और सार्वजनिक प्राधिकरण को 30 दिनों के भीतर जवाब देना होता है। अंतर्राष्ट्रीय अधिकार दिवस जो 28 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन लोगों की संबंधित सरकारों द्वारा रखी गई जानकारी तक पहुंचने के अधिकार के महत्वपूर्ण महत्व पर प्रकाश डालता है। भारत में मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक संगठन के नेतृत्व में एक राष्ट्रव्यापी अभियान ने आरटीआई अधिनियम के पारित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गोपनीयता, लालफीताशाही और अलगाव की संस्कृति को बदलने के लिए आरटीआई कानून का मुख्य जोर जिसने भारत के अखंड और अपार दर्शी को त्रस्त कर दिया है। नौकरशाही। जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एमकेएसएस (मजदूर किसान शक्ति संगठन) द्वारा किए गए प्रयास। आरटीआई अधिनियम एक प्रभावी भ्रष्टाचार विरोधी उपकरण के रूप में व्यापक रूप से उभर रहा है। आरटीआई कानून या "साइन कानून, जैसा कि उन्हें

[5] https://www.transparency.org/what-is-corruption#define, (June- 09-2019, 12:30PM)

[6] गोपिका नांबियार, सूचना का अधिकार एक भ्रष्टाचार-विरोधी उपकरण के रूप में, NUJS जरनल फट रेगुलेटरी स्टडीज़, जनवरी 2018, 76 पर।

[7] https://rti.gov.in/webactrti.htm,

आमतौर पर कहा जाता है, नागरिकों को उनकी सरकारों द्वारा रखी गई जानकारी तक पहुंचने के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करते हैं, जिससे सरकारों की बहुत आवश्यक पारदर्शिता या अपार दर्शी कार्यप्रणाली आती है।"[8]

सरकार ने 15 जून 2005 को ऐतिहासिक सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया और 12 अक्तूबर, 2005 से इसे स्वीकृति मिल गई। सूचना तक पहुंच का अधिकार एक महत्वपूर्ण मानव अधिकार है, जो अन्य मानवाधिकारों के आनंद के लिए आवश्यक है। तब से, देश के नागरिक भ्रष्टाचार से निपटने और एक पारदर्शी और जवाबदेह सरकार बनाने के लिए अधिनियम का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे हैं। भारत भर में सरकार से सूचना प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन लगभग 4,800 आवेदन दाखिल किए जाते हैं। अक्तूबर 2005 में लागू सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के बाद किए गए पहले दशक के अध्ययन से पता चला है कि 1.75 करोड़ से अधिक आवेदन दायर किए गए हैं जिनमें से एक-चौथाई अनुरोध केंद्र के पास हैं।[9]

V. भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक उपकरण के रूप में आरटीआई

भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीतिक लामबंदी आरटीआई से शुरू हुई। गोपनीयता की संस्कृति, जैसे ज्ञात, सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट प्रथाओं में लिप्त होने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसके परिणामस्वरूप बिजली के दुरुपयोग और निजी उद्देश्यों के लिए निधियों के विपथ के कारण कम निवेश। एक के रूप में नतीजतन, सरकार के सामाजिक खर्च से कोई सार्थक लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि, उदाहरण के लिए,शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, डॉक्टर और नर्स स्वास्थ्य केंद्रों, राशन कार्ड धारकों में नहीं जाते हैं सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त नहीं करते हैं और इस प्रकार, आजीविका सहायता से इनकार कर दिया जाता है, और वादा किए गए रोजगार गरीबों को प्रदान नहीं किए जाते हैं, जिन्हें आय सहायता का आश्वासन दिया जाता है। में इस प्रक्रिया में, यह गरीबी को बनाए रखता है और गरीबों को नुकसान पहुंचाता है। यह अविश्वास का माहौल पैदा करता है लोगों और सरकार के बीच, जो विकास पर आघात करता है और लोकतांत्रिक शासन को खतरे में डालना। RTI पर कानून निहित के लिए एक एंटी-डोट की तरह कार्य कर सकता है ऐसे हित जो जानकारी को छिपाने या गलत व्याख्या करने की कोशिश करते हैं या जो जानकारी में फेर करने की कोशिश करते हैं मीडिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गलत सूचना देने के लिए।[10] सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने हमें सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है सरकार। इसके माध्यम से अब हम भ्रष्टाचार को उजागर कर सकते हैं और उन कर्तव्यों को भी प्रकाश में ला सकते हैं जो अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा, कुछ देशों में RTI को किस रूप में देखा गया है?भ्रष्टाचार विरोधी या राज्य आधुनिकरण एजेंडा (उदाहरण के लिए मेक्सिको और चिलकी) का हिस्सा,दक्षिण एशिया, विशेष रूप से भारत में। इन सके माध्यम से हम अपनी समस्याओं का समाधान भी खोज सकते हैं हम परियोजनाओं और योजनाओं के बारे में जानकारी पूछ सकते हैं। हम फाइलों का निरीक्षण कर सकते हैं और किसी की भी जांच कर सकते हैं। नियोजन सरकार विकास कार्यों के लिए भारी मात्रा में धन खर्च करती है हम अपने क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी मांग सकते हैं। किससे संबंधित जानकारी निविदाएं, समझौते, भुगतान और इंजीनियरिंग कार्य आदि के अनुमान प्राप्त किए जा सकते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम की मदद। इनके अलावा, इस बारे में जानकारी मांगी जा सकती है।[11] निम्नलिखित –

(1) आप सड़कों, नालियों के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के नमूने मांग सकते हैं और इमारतें आदि।

(2) आप किसी भी सामाजिक विकास कार्य, प्रगति पर काम के निरीक्षण की मांग कर सकते हैं या किसी भी पूरे किए गए कार्य से संबंधित जानकारी।

[8] के माधवी, सूचना का अधिकार अधिनियम: भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक उपकरण "भ्रष्टाचार का कैंसर और नंबरिंग मिले नियम", आईओएसआर-जेएचएसएस, फरवरी 2016, 13 बजे

[9] निधि शर्मा, 2005 से अब तक 1.75 करोड़ आरटीआई आवेदन दाखिल: अध्ययन, इकोनॉमिक टाइम

[10] अपराजिता भार्गव, आरटीआई - भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए एक उपकरण, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लीगल विकास और संबद्ध मुद्दे, जनवरी 2018

[11] Ibid

(3) आप निर्माण के लिए सरकारी दस्तावेजों, मानचित्रों के निरीक्षण की मांग कर सकते हैं,रजिस्टर और रिकार्ड।

(4) आप अपने द्वारा दर्ज की गई किसी भी शिकायत पर की गई प्रगति से संबंधित जानकारी मांग सकते हैं हाल के दिनों में अनुभव बताते हैं कि जिन राज्यों में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है लागू, यह सामाजिक विकास और शासन का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है सूचना आयोग में लंबित मामलों से निपटना और दोषों को कड़ी सजा आरटीआई के उचित उपयोग के लिए अधिकारियों के साथ-साथ जनता के बीच बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान आरटीआई शासन की सफलता की कुंजी है।RT। व्यवस्था के तहत, जनता के कामकाज में अभूतपूर्व पारदर्शिता है विभागों। इस प्रकार निर्णय लेने की प्रक्रिया की बेहतर समझ है और अधिक है सरकार की जवाबदेही। इससे देश में भ्रष्टाचार में कमी आई है निम्नलिखित से स्पष्ट है:

I.) ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (आई) ने रिपोर्ट दी थी कि भारत में कथित भ्रष्टाचार मुख्य रूप से आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन के कारण गिरावट आई। यह भ्रष्टाचार से स्पष्ट है 2007 में 3.5 की शुरुआती वृद्धि के बाद, 2008 में 3.4 (10 में से) का कमी स्कोर2006 में 2.99, जो 15% की सीमा तक भ्रष्टाचार[12] में गिरावट का संकेत देता है भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में उसकी बैंकिंग में मामूली सुधार हुआ है। 2016 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को 100 में से 40 का स्कोर मिलाकर 2015 की तुलना में दो अंकों का सुधार हुआ है क्योंकि देश ने 38.15 स्कोर किया था।

ii) टीआई-सीएमएस ने हाल ही में गरीबों का अखिल भारतीय सर्वेक्षण अध्ययन पूरा किया है। गरीबी रेखा। सभी प्रमुख के संबंध में गरीबों के विचार प्राप्त किए गए हैं गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यान्वित किए गए कार्यक्रम । कम से कम 40 प्रति शत उत्तरदाताओं ने बताया है कि भ्रष्टाचार में गिरावट आई है।

iii. यह भी देखा गया है कि जहां कहीं भी गैर-सरकारी संगठन विकास में सक्रिय रूप से शामिल हैं गतिविधियां, कथित भ्रष्टाचार बेहद कम है।

VI. आरटीआई अधिनियम का कार्यान्वयन

आरटीआई अधिनियम का सफल कार्यान्वयन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, दोनों तकनीकी और राजनीतिक। भारत सरकार ने शासन को प्रभावी बनाने के लिए इस कानून को प्रदान करना चुनाकर पारदर्शी। न्यून और कैलंडर (2007) का सुझाव है कि भारतीय मामले में सिविल समाज ने एक मजबूत आरटीआई अधिनियम की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कुंजी के लिए पैरवी की ऐसे प्रावधान जिनके परिणामस्वरूप सूचना व्यवस्था का वास्तविक उत्कर्ष हुआ। प्रभावकारी प्रणाली की निगरानी और परीक्षण नागरिक समाज संगठनों द्वारा किया जाता है जो भारत में कानून के अभियानों से उभरा, जिससे अधिक से अधिक सरकार का आग्रह किया गया अनुपालन (न्यून और कैलंडर, 2007)।आरटीआई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ऊपर से राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। वही भारत सरकार गुप्त तरीके से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह धारणा क्या है?पारदर्शिता अधिकांश जनता के अनुभव और मानसिकता की सीमा से बहुत परे है नौकरशाहों। इसलिए एक बुनियादी मानसिकता के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति आवश्यक है भारतीय प्रधान मंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने अतीत और वर्तमान दोनों में ऐसा दिखाया है राजनीतिक इच्छा शक्ति। सूचना के अधिकार पर तीसरे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था ,3 नवंबर, 2008 को प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह। सम्मेलन का विषय'सूचना का अधिकार और सुशासन के लिए इसके प्रभाव' था। प्रधानमंत्री वार्षिक सम्मेलन में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया: उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार सूचना का अधिकार कानून के क्रियान्वयन पर बहुत गर्व महसूस करती है आधिकारिक मामलों में गोपनीयता की परंपरा से यह

[12] एम.एम. अंसारी, सूचना का अधिकार और सुशासन और विकास के साथ इसका संबंध,

संक्रमण निश्चित रूप से आसान नहीं रहा है। यह इसमें न केवल एक उपयुक्त संस्था गत तंत्र की स्थापना शामिल है, बल्कि एक बदलाव भी शामिल है लोक सेवकों की मानसिकता में।

भारत सरकार ने आंतरिक प्रणालियों और प्रक्रियाओं को उत्पन्न करने और बनाने के लिए स्थापित किया है समझ और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सिविल सेवकों की जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करना –आपूर्ति पक्ष के यांत्रिक। भारत सरकार ने सूचना का गठन किया है ऐसे आयोग जो किसी के निर्देश के अधीन हुए बिना अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं अधिकार। इन आयोगों को देश भर में स्थापित किया गया है और उनके मुख्य कार्य नागरिकों से उनकी आरटीआई के बारे में शिकायतों को प्राप्त करना और जांच करना है अनुप्रयोगों। इन आयोगों के पास आरटीआई मामलों को निपटाने के लिए सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं।

सूचना आयोग आरटीआई अधिनियम के तहत अपील प्राधिकरण हैं, जो दोनों के बीच सूचना तक पहुंच को लेकर विवादों पर निष्पक्ष रूप से निर्णय देने का आह्वान किया गया नागरिक और सरकार। वे एक निगरानी प्राधिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं कि अपने आदेशों और निर्णयों के माध्यम से किसके मन में बदलाव शुरू करने की उम्मीद है?नौकरशाही। इसके अलावा, लोक सूचना अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है अधिनियम के तहत जानकारी मांगने वाले नागरिकों के अनुरोध से निपटने के लिए देश भर में और उन्हें उचित सहायता प्रदान करें। किसकी लोकप्रियता को मापने के लिए मानदंडों में से एक आरटीआई को समय की अवधि में दायर आरटीआई आवेदनों की संख्या से इंगित किया जा सकता है केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा तैयार 2010-11 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार,जरनल ऑफ मैनेजमेंट एंड पब्लिक पालिसी, वॉल्यूम 3, नंबर 2, जून 2012 में सूचना चाहने वलों की संख्या में 2 गुना (5,55,726 अनुरोध) की वृद्धि हुई।30पिछले वर्ष 2009-10 । यह मुक्त प्रवाह की स्थितियों को बनाने में आरटीआई अधिनियम की सफलता को भी दर्शाता है सूचना का अधिकार अधिनियम के पारित होने के संबंध में संसद द्वारा परिकल्पित जानकारी। इसके अलावा, केवल 5.2% आरटीआईवर्ष 2010-11 में प्राप्त अनुरोधों को अस्वीकृत कर दिया गया था, जबकि पिछले वर्ष में यह आंकड़ा 643% था। साल। पीए ने अस्वीकृति की संख्या में कमी की भी प्रशंसा की और टिप्पणी की कि यह सूचना के साथ नागरिकों को सशक्त बनाने में सफलता के उपायों में से एक हो सकता है। वैश्विक अनुभव इंगित करता है कि सूचना की स्वतंत्रता का नाटकीय प्रभाव पड़ता है भ्रष्टाचार। वार्षिक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2011 पर शीर्ष दस देशों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा तैयार, आठ में सार्वजनिक पहुंच के लिए प्रभावी कानून था सरकारी रिकार्ड जबकि दस 'सबसे भ्रष्ट' देशों में से, किसी के पास कार्यात्मक नहीं था जानकारी तक पहुंच। जाहिर है, सूचना तक पहुंच मुकाबला करने के लिए एक उपकरण के रूप में उभरी है।

VII. आरटीआई अधिनियम की कमियां

हालांकि आरटीआई अधिनियम ने विभिन्न क्षेत्रों में भ्रष्टाचार को उजागर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, फिर भी, ऊपर प्रस्तुत आंकड़े इस बात का संकेत देते हैं कि भ्रष्टाचार की घातक वृद्धि को रोका नहीं गया है; घोटालों ने अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया है और देश के विकास ने राज्य की तीन शाखाओं को प्रभावित करना जारी रखा है। प्रतीत होता है कि आरटीआई अधिनियम की कुछ कमियां निम्नलिखित हैं।

1. महा-भ्रष्टाचार की अवधारणा की अनदेखी: भ्रष्टाचार की अवधारणा की समझ, जो अधिकांश आम लोगों के पास है, इस अर्थ में सीमित है कि वे इसे वित्त और सार्वजनिक धन की हेराफेरी तक सीमित कर देते हैं। वे 'भव्य भ्रष्टाचार' की अवधारणा को नज़र अंदाज करते हैं, जो तब स्थापित होता है जब राजनीतिक वर्ग अकेले लोगों के एक निश्चित वर्ग को लाभ पहुंचाने के एकमात्र उद्देश्य

के साथ कानून या नीतियां बनाता है। उदाहरण के लिए, एक संदिग्ध नीति जो देश की आर्थिक स्थिति को पंगु बना देती है, सरकार द्वारा कुछ निजी व्यापारियों की मदद करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ तैयार की जा सकती है। यह सुशासन की अवधारणा के विपरीत है।' अब्दुल फारूक बनाम म्यूनिसिपल काउंसिल, पेराम्बलुर और अन्य'[13] में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सुशासन के सिद्धांत के अनुसार सरकार को अपने राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर केवल सार्वजनिक हित और कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। इसके लोगों का। महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम जल गाँव नगर निगम[14] और अन्य में, यह माना गया था कि लोकतांत्रिक समाज में सुशासन के सिद्धांतों में से एक यह है कि निजी और छोटे हितों को हमेशा एक संघर्ष के मामले में बड़े सार्वजनिक हितों के लिए रास्ता देना चाहिए।

2. संरचना समस्या: सार्वजनिक प्राधिकारों के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक, जो उन्हें सूचना का खुलासा करने से रोकती है, संरचना संबंधी समस्याएं हैं। गांव और पिछड़े क्षेत्रों में कई सार्वजनिक प्राधिकरण कार्यालयों में उचित बुनियादी ढांचे की कमी है। कई दफ्तरों में कंप्यूटर नहीं है या फिर कोई कंप्यूटर या लैपटॉप है तो कई लोगों के स्टाफ में या तो एक ही कंप्यूटर है। यह सूचना के प्रकटीकरण में प्रमुख बाधाओं में से एक है क्योंकि उनके पास वेबसाइटों पर किसी भी जानकारी को प्रकाशित करने के लिए शायद ही कोई संसाधन है क्योंकि शायद ही कोई कंप्यूटर या लैपटॉप है और यह आरटीआई अधिनियम की एक बड़ी समस्या और चुनौती भी है।

3. वेबसाइटों का रखरखाव न होना: यह समस्या भी स्वतः: संज्ञान में एक बड़ी बाधा है प्रकटीकरण और इसलिए आरटीआई अधिनियम के लिए। इसमें स्पष्ट रूप से प्रकाशित नहीं करना शामिल है और वेबसाइटों पर जानकारी के महत्वपूर्ण आट, पहले प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित नहीं करना महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेना, खराब रिकार्ड प्रबंधन प्रथाओं आदि। इसमें वार्षिक रिपोर्ट (2012-13), केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने अफसोस जताया कि अच्छी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई सीटी) बुनियादी ढांचा होने के बावजूद,अनिवार्य प्रकटीकरण मानदंडों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। केवल 568 सार्वजनिक प्राधिकारों ने ऐसा किया था अब तक उनकी वेबसाइट20 पर उनकी धारा 4 (1) (बीत) प्रकटीकरण पोस्ट करने की सूचना दी गई है।[15]

4. आम आदमी द्वारा अधिनियम का एकतरफा उपयोग: आम आदमी भ्रष्टाचार को उजागर करने के बजाय निजी उद्देश्यों के लिए आरटीआई का उपयोग करता है। यह मुख्य रूप से पत्रकार, एवजी सदस्य और कुछ जाने-माने भ्रष्टाचार-विरोधी योद्धा हैं, जो लगातार आरटीआई आवेदन दायर करते हैं, जब उन्हें लगता है कि सिट्टा में किसी प्रकार की गड़बड़ी है। हालांकि, सरकारी विभाग उपर्युक्त लोगों से सावधान हैं, विशेष रूप से पत्रकार, और इसलिए वे जानकारी देने से इनकार करते हैं या कभी-कभी अधूरी जानकारी देते हैं।[16]

5. कार्मिकों की कमी: सरकारी विभागों में उनकी स्वीकृत संख्या की तुलना में कम कर्मचारियों की भरती की जाती है। इसलिए पीआईओ और अन्य कर्मचारियों पर पहले से ही बहुत अधिक बोझ है और ऊपर से जब उन्हें बिना किसी प्रोत्साहन के एक कठिन कार्य करने के लिए कहा जाता है, तो वे सूचना प्रदान करने के लिए उतने प्रभावी ढंग से काम नहीं करते हैं।.

6. सार्वजनिक प्राधिकारों और राजनीतिक वर्ग से सहयोग की कमी: कई सार्वजनिक प्राधिकरण और राजनीतिक वर्ग अपने मामलों पर गोपनीयता का पर्दा रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं। मांगी गई जानकारी के अलावा बहुत अधिक जानकारी देने की प्रवृत्ति होती है, जो अक्स आरटीआई आवेदक को भ्रमित और गुमराह करती है। जो पूछा जाता है उससे

[13] 2009 (15) SCC 351.
[14] 2003 (9) SCC 731.
[15] https://cic.gov.in/sites/default/files/Reports/AR2012-13E_0.pdf (June 15, 2019, 4:10 PM)
[16] गोपिका नांबियार, सूचना का अधिकार एक भ्रष्टाचार-रोधी उपकरण के रूप में, NUJS जर्नल ऑफ़ रेगुलेटरी स्टडीज़, जनवरी 2018, 79 पर।

संबंधित विशिष्ट जानकारी नहीं दी जाती है। कभी-कभी, आवेदन उचित हस्ताक्षर नहीं होने का हवाला देकर मामूली कारणों से वापस कर दिए जाते हैं। प्रत्येक राज्य सरकार अपने निकायों को आरटीआई के दायरे से बाहर करने के लिए संशोधनों का अपना सटे बनाती है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में, साइबर क्राइम सेल और होम (पुलिस VII) विभाग को छूट दी गई है। केरल में सरकार आरटीआई के दायरे में सभी कैबिनेट निर्णय लेने से सावधान है।[17] कभी-कभी आरटीआई आवेदनों का जवाब देने में जानबूझकर देरी देखी जाती है जो विभाग में किसी भी संदिग्ध अभ्यास पर सवाल उठाते हैं। फिर भी यदि आवेदक को मुख्य सूचना अधिकारी से अनुकूल आदेश मिलता है, तो लोक प्राधिकरण उच्च न्यायालय में अपील करना पसंद करते हैं। लंबित मामलों और निर्णय प्रक्रिया को पूरा होने में लगने वाले वर्षों के लिए यह उनके लिए वरदान है क्योंकि यह उनके ढोंग को ढंकने में मदद करता है।

7. <u>कम जन जागरूकता:</u> कम जागरूकता स्तर: अधिनियम की धारा 26 में कहा गया है कि उपयुक्त सरकार शैक्षिक कार्यक्रमों का विकास और आयोजन कर सकती है जनता, विशेष रूप से वंचित समुदायों की समझ को आगे बढ़ाएं,अधिनियम के तहत विचार किए गए अधिकारों का उपयोग कैसे किया जाए। हालांकि, इसके अनुसार सर्वेक्षण में यह पता चला कि केवल 15% उत्तरदाताओं को आरटीआई अधिनियम 23 के बारे में पता था। नोडल विभाग (अध्ययन की गई राज्य सरकारों के विशिष्ट संदर्भ में)आरटीआई अधिनियम को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। यह देखा गया था कि जागरूकता समुदाय के वंचित वर्गों के बीच सबसे कम थी जैसे महिलाएं, ग्रामीण आबादी और ओबीसी / एससी / एसटी श्रेणी। जागरूकता के दौरान सर्वेक्षण, यह भी देखा गया कि इस जागरूकता के प्रमुख स्रोत थे: टेलीविजन चैनलों, समाचार पत्रों आदि जैसे मास मीडिया चैनल और मुंह के शब्द।

8. <u>राजनीतिक दल अभी तक आरटीआई के दायरे में नहीं हैं:</u> भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित भारत में छह राष्ट्रीय दलों ने 2013 के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया है, जिसमें उन्हें सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया गया है।[18] आयोग ने माना कि भले ही राजनीतिक दल गैर-सरकारी हों -सरकारी संगठन फिर भी वे सरकारी शक्ति के प्रयोग को संचालित और प्रभावित करते हैं और इस प्रकार, राजनीतिक दलों के लिए पारदर्शी होना अनिवार्य है।

<u>भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए प्रभावी ढंग से आरटीआई का उपयोग</u>

- **पीआईओ को उचित न-द-जब प्रशिक्षण प्रदान करना**

पीआईओ को उनके कार्यकाल से पहले और उसके दौरान उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपना दिमाग लगा सकें और यह तय कर सकें कि जानकारी दी जा सकती है और किस हद तक। उन्हें उद्देश्य को समझने के लिए बनाया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार को उजागर करने और देश के विकास को गति देने में कानून और उनके स्वयं के महत्व के बारे में।

- **पीआईओ की नियुक्ति के लिए समिति की संरचना में बदलाव**

पीआईओ की नियुक्ति के लिए समिति की संरचना में बदलाव - आरटीआई अधिनियम की धारा 12 और 15 के तहत, केंद्र और राज्य सरकार दोनों में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति क्रमशः प्रधान मंत्री और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता

[17] केरल: पिनाराई विजयन का कहना है कि कैबिनेट के सभी फैसले आरटीआई के तहत नहीं आएंगे, द इंडियन एक्सप्रेस (तिरुवनंतपुरम, 20 जनवरी 2017) -वोंट-फॉल-अंडर-आरटीआई-4483753/.

[18] CIC/AT/A/2007/01029&01263-01270.

वाली एक समिति द्वारा की जाती है। और विपक्ष के नेता और प्रधान मंत्री / मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। यह ढांचा थोड़ा असंतुलित है क्योंकि नियुक्ति करने वाले तीन लोगों में से दो सत्तारूढ़ सरकार का हिस्सा हैं। इसलिए, यह ऐसी परिस्थितियों को जन्म दे सकता है जिसमें सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए अपने स्वयं के वफादार को पद पर नियुक्त करती है कि मुखबिर को दूर रखा जाए। वर्तमान पर दृश्य में, जहां पीआईओ पहले से ही जानकारी देने से हिचक रहे हैं, यह खतरनाक हो सकता है। इस प्रकार, यह सुझाव दिया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति को भी उस समिति का हिस्सा होना चाहिए जो सूचना आयुक्त की नियुक्ति करती है। कोई वीटो पावर नहीं होनी चाहिए और बहुमत का निर्णय अंतिम होना चाहिए। यह एक उचित चेक-एंड-बैलेंस सिस्टम सुनिश्चित करेगा।

- **आवेदकों के विवरण के प्रकटीकरण पर रोक**

इसके उदाहरण सामने आए हैं आरटीआई आवेदकों के विवरण के बारे में जानकारी लीक कर रही है सरकार उत्तरार्द्ध को ब्लैकमेलिंग, धमकियों और यहां तक कि मौत के अधीन किया गया। न केवल होना चाहिए व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, लेकिन एक विशिष्ट प्रावधान भी है आरटीआई अधिनियम में लगाया जाना चाहिए जो आरटीआई के विवरण के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करता है आवेदक और उन लोगों को सजा देना, जो इसके विपरीत कार्य करते हैं।

- **अलग-अलग पीठों का गठन**

उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में आरटीआई अधिनियम से संबंधित अपीलों के बैकलॉग को कम करने के लिए, मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में अलग-अलग पीठों का गठन किया जा सकता है।[19]

- **पर्याप्त स्टाफिंग:**

सरकारी विभागों में भर्ती रिक्तियों से मेल खाना चाहिए। कुछ के कंधों पर काम का अत्यधिक बोझ भी सूचना के लगातार इनकार के कारणों में से एक है।

- **सभी अभिलेखों का डिजिटलीकरण**

अभिलेखों का अनिवार्य डिजिटलीकरण किया जाना चाहिए। सरकार ऐसा करने के लिए देश में कुशल लेकिन बेरोजगार युवाओं का उपयोग कर सकती है।

- **सार्वजनिक प्राधिकारों के दायरे को व्यापक बनाना**

आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (एच) के तहत "सार्वजनिक प्राधिकरण" की परिभाषा थोड़ी संकीर्ण है और इसे व्यापक बनाया जाना चाहिए। सार्वजनिक कार्यों का निर्वाह करने वाले सभी निकायों और संस्थानों को शामिल करने के लिए, हालांकि वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य के दायरे में नहीं आ सकते हैं।

- **RTI के दायरे में राजनीतिक दलों को शामिल करना**

सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को RTI के अधीन होना चाहिए।

निष्कर्ष

भ्रष्टाचार के घातक विकास को रोकने की यात्रा में आरटीआई अधिनियम (2005) के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता है। इसके बिना, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और यहां तक कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 जैसे कानून और कुछ नहीं बल्कि दंत विहीन बाघ हैं। हालांकि, कानून और शासक वर्ग की मानसिकता दोनों में बदलाव की आवश्यकता है,

[19] गोपिका नांबियार, सूचना का अधिकार एक भ्रष्टाचार-रोधी उपकरण के रूप में, NUJS जर्नल ऑफ़ रेगुलेटरी स्टडीज़, जनवरी 2018, 83, 84 पर

जिन्हें महसूस करने की आवश्यकता है। कि पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतंत्र के अविभाज्य अंग हैं; तथ्य यह है कि वे जानकारी प्रदान करके नागरिकों पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। न्यायपालिका सहित राज्य के तीनों अंगों को इस आदर्श को अपनाना होगा। साथ ही, लोगों को यह महसूस करना चाहिए कि कानून का यह विशेष टुकड़ा हममें से प्रत्येक के लिए इस कलंक की व्यवस्था से छुटकारा पाने और देश के विकास में योगदान देने के लिए सक्रिय भागीदार बनने के लिए है; यह केवल गैर-सरकारी संगठनों या कुछ मुखबिरों या पत्रकारों के भरोसे छोड़ देने का काम नहीं है। सतर्क नागरिकों द्वारा अधिनियम का प्रभावी और पूर्ण उपयोग ही व्यवस्था से भ्रष्टाचार के खतरे को जड़ से खत्म कर सकता है।

साज़िश, गोपनीयता और भ्रष्टाचार से भरे माहौल में, आरटीआई अधिनियम 2005 को पारदर्शिता लाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रख्यात किया गया था। भारतीय नागरिकों ने बड़े और छोटे दोनों तरह के बदलाव लाने के लिए इस कानून का बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। आरटीआई अधिनियम ने मौलिक रूप से सरकार और शासित के बीच शक्ति समीकरण को बदल दिया है - जो एक ओर किसी भी रूप में राज्य की शक्ति का संचालन करते हैं और लाखों लोग जो राज्य मशीनरी के निर्णयों और कार्यप्रणाली से प्रभावित होते हैं। आरटीआई अधिनियम के लिए धन्यवाद, भारत में, वास्तविक गुरु-लोकप्रिय 'आम आदमी' को अंततः 'लोक सेवक' द्वारा पहचाना जा रहा है। भारत की क़ानून पुस्तक पर कोई अन्य कानून नागरिकों को इतनी शक्ति नहीं देता है, इतनी सरलता से, देश में किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से सवाल करने के लिए। अध्ययन से स्पष्ट रूप से पता चला है कि आरटीआई अधिनियम ने भारत सरकार से भ्रष्टाचार और गोपनीयता की संस्कृति को जड़ से उखाड़ने का एक ऐतिहासिक अवसर दिया है। शासन में सुधार, सरकारी मामलों में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता का मार्ग प्रशस्त करता है। देश भर में, बड़ी संख्या में लोग आरटीआई आवेदनों का उपयोग भ्रष्टाचार से लड़ने और अपने अधिकारों की मांग करने के लिए एक हथियार के रूप में कर रहे हैं। आरटीआई लोगों को रिश्वत के लिए ना कहने में सक्षम बना रहा है। आरटीआई का उपयोग नीतिगत बदलाव लाने के साथ-साथ भूखे मुंह को खिलाने के लिए भी किया जाता है। यह परिणामों के साथ एक व्यापक कार्य है जिसने कुछ लोगों को यह कहने के लिए प्रेरित किया है कि यह आजादी के बाद से सबसे महत्वपूर्ण कानून है। अध्ययन इस बात का समर्थन करता है कि सार्वजनिक सेवा संरचना को उचित पारदर्शिता तंत्र के साथ संरेखित करने से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है। अध्ययन जेनकिंस और गोएट्ज़ (1999) द्वारा उठाए गए बिंदु का भी समर्थन करता है कि आरटीआई की शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार-विरोधी साहित्य कारण और उपचार के रूप में राज्य की भूमिका पर अधिक जोर देता है और भ्रष्टाचार के विभिन्न रूपों के अस्तित्व को सामने लाने में सामाजिक आंदोलनों की भूमिका को पहचानने में विफल रहता है। लेकिन आरटीआई की पूरी ताकत को महसूस करने से पहले बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। भारत सरकार को बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करना चाहिए और मांग पक्ष यानी नागरिक समाज को प्रेरित करने के लिए आरटीआई मामलों की त्वरित प्रक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिए। पारदर्शिता के संकेत दिखाई दे रहे हैं और अगर मौजूदा चलन को जारी रखना है और अधिनियम का अक्षरशः पालन करना है, तो नौकरशाही के भीतर दृष्टिकोण में एक मौलिक परिवर्तन आवश्यक है। इसलिए, अधिनियम को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए, भारत सरकार को नौकरशाही में नागरिकों के अधिकार का सम्मान करने के लिए गंभीर प्रयास करने होंगे और गोपनीयता और अपारदर्शिता की विशेषता वाली अपनी पुरानी कार्यशैली को छोड़ना होगा।